सार संक्षेप

राज्यपाल कटारिया ने लोगों को दी जनमाष्टमी की बधाई

गुलाब चंद कटारिया

सवेरा न्यूज/राकेश शर्मा (चंडीगढ़) : पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने जनमाष्टमी के पावन अवसर पर पंजाब एवं चंडीगढ़ के लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित कीं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का जीवन और उपदेश कल्याण और सद्गुण के संदेश से परिपूर्ण हैं। उन्होंने 'निष्काम कर्म' की अवधारणा का प्रचार किया और धर्म के मार्ग से परम सत्य की प्राप्ति हेतु जन-जन को प्रेरित किया। राज्यपाल ने कहा कि जनमाष्टमी का यह पावन त्योहार हम सभी को जीवन में सद्गुण अपनाने और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करे। उन्होंने कहा कि आइए, हम इस पावन त्योहार को श्रद्धा एवं एकता के साथ मनाएँ और विचार, वचन तथा कर्म में धर्म के मूल्यों को आत्मसात करें।

गैंगस्टरां ते वार का 226वां दिन : 570 स्थानों पर छापेमारी; 249 गिरफ्तार

सवेरा न्यूज/मोहित/योगी (चंडीगढ़/जालंधर): 'गैंगस्टरां ते वार' अभियान के 226वें दिन पंजाब पुलिस ने गैंगस्टरों के साथियों के पहचाने और मैप किए गए 570 स्थानों पर छापेमारी की। पुलिस टीमों ने 249 व्यक्तियों को तीन हथियारों समेत गिरफ्तार किया। अभियान की शुरुआत से अब तक कुल 67,639 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसके अलावा 294 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई और 17 फरार अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया। एंटी-गैंगस्टर हैल्पलाइन नंबर 93946-93946 पर लोग वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में गुप्त रूप से सूचना दे सकते हैं। इस दौरान 'युद्ध नशेयां विरुद्ध' अभियान के 551वें दिन पुलिस ने 131 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर 2.7 किलो हेरोइन, 470 ग्राम अफीम, 1062 नशीली गोलियां और 7120 रुपये की ड्रग मनी बरामद की। 551 दिनों में गिरफ्तार नशा तस्करों की संख्या 76,982 हो गई है। नशा छुड़ाओ अभियान के तहत 13 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए राजी किया गया।

रंधावा ने सुनाम में युवक से पुलिस धक्केशाही की निंदा की

सवेरा न्यूज/मोहित (चंडीगढ़): पंजाब के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सुनाम के गांव शेरों में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के कार्यक्रम के दौरान विरोध करने वाले युवक के साथ कथित पुलिस धक्केशाही की निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों के साथ दमन किया जा रहा है। रंधावा ने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि अगर उन्हें अपने काम पर भरोसा है तो काले झंडों से डर कैसा? उन्होंने कहा कि जनता के विरोध पर सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए, न कि पुलिस के जरिए आवाज दबानी चाहिए।

फिरोजपुर मंडल ने यात्री टिकट सुविधा केंद्र के लिए मांगे आवेदन

सवेरा न्यूज/विजय (फिरोजपुर): फिरोजपुर मंडल द्वारा यात्रियों को बेहतर एवं सुविधाजनक टिकटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यात्री टिकट सुविधा केंद्र की व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य रेलवे स्टेशन के आसपास ही अधिकृत टिकट बुकिंग सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे यात्रियों के समय की बचत हो तथा टिकट बुक कराना सुगम एवं सुविधाजनक हो। उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल में यात्री टिकट सुविधा केंद्र खोलने के लिए 3 वर्षों की अवधि के लिए आवेदन मांगे गए हैं। रेलवे से अधिकृत टिकट एजेंट इसके लिए पात्र होंगे।

अमृतसर में अवैध हथियार आपूर्ति नैटवर्क का पर्दाफाश; 8 पिस्तौलों समेत 2 गिरफ्तार

सवेरा न्यूज/महिंदरपाल/योगी

चंडीगढ़/अमृतसर/जालंधर, 3 सितंबर : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने की मुहिम के तहत अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने दो व्यक्तियों को आठ .30 बोर अवैध पिस्तौलों और 103 जिंदा कारतूसों समेत गिरफ्तार कर अवैध हथियार आपूर्ति नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। यह जानकारी डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रणजीत सिंह उर्फ जीता (24) निवासी गांव बैंका, तरन तारन और गुरबीर सिंह उर्फ गोरा (32) निवासी गांव तारा सिंह, तरन तारन के रूप में हुई है। रणजीत सिंह के खिलाफ शस्त्र अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम और विस्फोटक अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज हैं।

डीजीपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी सोशल मीडिया एप्लिकेशनों के माध्यम से विदेशी तस्करों के संपर्क में थे और विदेशी हथियारों की खेपें प्राप्त कर राज्य में आपराधिक तत्वों को सप्लाई कर रहे थे।

पुलिस आयुक्त अमृतसर हरमनबीर सिंह गिल ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गुरुद्वारा बोहड़ी साहिब रोड के पास नाका लगाकर रणजीत सिंह उर्फ जीता को एक .30 बोर पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूसों समेत गिरफ्तार किया गया। आगे की जांच में उसके कब्जे से चार अन्य पिस्तौलें और 100 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ के दौरान उसके साथी गुरबीर उर्फ गोरा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से तीन .30 बोर पिस्तौलें बरामद की गईं। गुरबीर करीब 6 महीने पहले दुबई से वापस आया था। इस संबंध में एफआईआर संख्या 264 दिनांक 30.08.2026 को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (6,7,8) के तहत थाना इस्लामाबाद, अमृतसर कमिश्नरेट में दर्ज की गई है।

सुखबीर सिंह बादल द्वारा शिरोमणि अकाली दल की जनरल काउंसिल सदस्यों की सूची जारी

सवेरा न्यूज/धालीवाल

चंडीगढ़, 3 सितंबर : शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी के जत्थेबंदक ढ़ांचे में बढ़ौतरी करते हुए पार्टी के जनरल काउंसिल मैंबरों की 7 जिलों की सूची जारी की। पार्टी के मुख्य कार्यालय से इस बारे जानकारी देते हुए पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं सचिव डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने बताया कि आज 7 जिलों के जनरल काउंसिल के मैंबरों की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि शेष सदस्यों की घोषणा शीघ्र कर दी जाएगी।

बेअदबी मामले में विजय सांपला से एसआईटी ने की 3 घंटे पूछताछ

सवेरा न्यूज/मोहित

चंडीगढ़, 3 सितंबर : पंजाब में बेहबल कलां गोलीकांड से जुड़े मामले में भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला गुरुवार को एसआईटी के सामने पेश हुए। उनसे करीब तीन घंटे पूछताछ हुई। सांपला ने कहा कि वह जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और मामले से संबंधित सारी जानकारी पहले ही एसआईटी को दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि एसआईटी उन्हें जांच से जुड़े दस्तावेज मुहैया नहीं करा रही है। सांपला ने कहा कि वह जांच से बचने की कोशिश नहीं कर रहे और एसआईटी के हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। हालांकि, जांच टीम को स्पष्ट करना चाहिए कि वह उनसे क्या जानकारी चाहती है और किन तथ्यों या दस्तावेजों के आधार पर पूछताछ की जा रही है।

एसआईटी ने उन्हें पहले 27 अगस्त को पेश होने के लिए कहा था। पार्टी के पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के चलते उन्होंने समय मांगा था। इसके बाद 2 सितंबर की तारीख दी गई, जिसे सांपला के अनुरोध पर 3 सितंबर किया गया। मालूम हो कि 2015 में बरगाड़ी और बुर्ज जवाहर सिंह वाला में हुई घटनाओं के बाद विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसी दौरान अक्टूबर 2015 में बेहबल कलां में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग हुई थी।

'आप' के कहने पर पंजाब की मसौदा मतदाता सूची में मेरे नाम के आगे 'स्थानांतरित' लिखा गयाः राघव चड्ढा

सवेरा न्यूज

नई दिल्ली, 3 सितंबरः पंजाब से राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने बृहस्पतिवार को कहा कि मसौदा मतदाता सूची में उनके नाम के आगे 'स्थानांतरित' लिखा गया है जबकि उनका मतदाता पहचान पत्र मोहाली में पंजीकृत है। उन्होंने आरोप लगाया कि आप सरकार राजनीतिक बदले की भावना से चुनावी तंत्र का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि, निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दिल्ली की मतदाता सूची में चड्ढा का नाम शामिल करने के लिए पर्दे के पीछे से कोशिशों के दावे को खारिज करते हुए कहा, 'ऐसा कोई कदम न तो उठाया गया था और न ही उठाया जा रहा है।'

राघव चड्ढा ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'पंजाब की 'आप' सरकार अब बदले की राजनीति को मसौदा मतदाता सूची तक ले आई है। मैं पंजाब से मौजूदा राज्यसभा सदस्य हूं और मेरा मतदाता पहचान पत्र पंजाब के मोहाली में पंजीकृत है। इसके बावजूद मसौदा मतदाता सूची में मेरे नाम के आगे 'स्थानांतरित' लिखा गया है।' उन्होंने आरोप लगाया, 'यह सिर्फ लिपिकीय गलती नहीं लगती। यह स्पष्ट तौर पर राजनीतिक बदले की भावना का मामला है।' चड्ढा ने कहा कि वह एसआईआर दिशानिर्देशों के तहत उपलब्ध उपायों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चड्ढा ने कहा, 'शुक्र है कि यह सिर्फ एक मसौदा सूची है, अंतिम मतदाता सूची नहीं। 'दावे और आपत्तियों' की प्रक्रिया के दौरान नाम में सुधार किया जाता है और यह प्रक्रिया अभी जारी है। अंतिम मतदाता सूची अक्तूबर में जारी की जाएगी। मैं पहले से ही एसआईआर के दिशानिर्देश के तहत उपलब्ध उपायों का इस्तेमाल करने की प्रक्रिया में हूं।' उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि उन्हें ''स्थानांतरित'' किसने दर्ज किया, इस वर्गीकरण का सत्यापन किसने किया और उच्च स्तर पर इसे किसने मंजूरी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में पंजाब सरकार के अधिकारी शामिल थे।

राघव चड्ढा के वोटर लिस्ट विवाद पर आप का पलटवार

सवेरा न्यूज/मोहित

चंडीगढ़, 3 सितंबर : आम आदमी पार्टी (आप) ने गुरुवार को राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर पलटवार किया। चड्ढा का नाम पंजाब की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शिफ्टेड दिखाए जाने पर पार्टी ने आरोप लगाया कि वह पिछली तारीख (बैकडेटेड) वाली प्रक्रिया के जरिए अपना वोटर रजिस्ट्रेशन दिल्ली ट्रांसफर करवाने की कोशिश कर रहे थे।

एक्स पर चड्ढा की पोस्ट का जवाब देते हुए आप ने कहा कि वोटर लिस्ट का स्पैशल इंटेंसिव रिविज़न (एसआईआर) भारत निर्वाचन आयोग करता है और इसमें पंजाब सरकार की कोई भूमिका नहीं है। पार्टी ने दावा किया कि चड्ढा दिल्ली में रह रहे हैं और चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक वह पिछली तारीख वाली प्रक्रिया से दिल्ली के राजिंदर नगर में अपना वोटर रजिस्ट्रेशन करवाने की कोशिश कर रहे थे। आप ने इसकी जांच की मांग की।

एक और प्रवासी का नाम वोटर लिस्ट से कट गया तो क्या हो गया : अमन अरोड़ा

वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और हटवाने की प्रक्रिया चुनाव आयोग देख रहा है। कैबिनेट मंत्री एवं आप प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि एसआईआर के तहत पंजाब में 20 लाख लोगों के नाम कट गए, जिनमें ज्यादातर प्रवासी हैं, तो एक और प्रवासी का नाम कट गया तो क्या हो गया।

विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़कर भारत ने पकड़ी तेज विकास की रफ्तार: केवल सिंह ढिल्लों

सवेरा न्यूज/मोहित

चंडीगढ़, 3 सितंबरः भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम, दूरदर्शी और मजबूत नेतृत्व का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देश आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वहीं भारत लगातार तेज आर्थिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि पहली तिमाही में भारत की जी.डी.पी. विकास दर 7.8 प्रतिशत रहना देश की मजबूत और गतिशील अर्थव्यवस्था का प्रमाण है। भारत अब वैश्विक आर्थिक विकास के प्रमुख इंजनों में से एक बन रहा है।

उन्होंने कहा कि आई.टी. और वित्तीय क्षेत्र में 12.1 प्रतिशत, मैन्युफैक्चरिंग में 9.2 प्रतिशत तथा निवेश और बुनियादी ढांचे में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि मोदी सरकार की नीतियों की सफलता को दर्शाती है। घरेलू खपत में 7.1 प्रतिशत और निर्यात में 12 प्रतिशत की वृद्धि भारत की आंतरिक आर्थिक ताकत तथा वैश्विक बाजार में बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के संकल्प की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मजबूत अर्थव्यवस्था, आधुनिक बुनियादी ढांचा, बढ़ता औद्योगिक उत्पादन, डिजिटल क्रांति और युवाओं के लिए बढ़ते अवसर इस विकास यात्रा के आधार हैं।

जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (लिक्विडेशन में)

रजिस्टर्ड ऑफिस - स्टर्लिंग सेंटर, 401-407, 4th फ्लोर, विद्यान चाइल्ड हाई स्कूल के सामने, अंधेरी कुर्ला रोड, चकाला, अंधेरी ईस्ट, मुंबई, 400093 CIN: L99999MH1992PLC066213
(एक कंपनी जो माननीय NCLT के 26 नवंबर, 2024 के ऑर्डर के तहत लिक्विडेशन प्रोसेस से गुजर रही है)

ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक घोषणा
इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 और उसके तहत बनाए गए रेगुलेशंस के तहत नोटिस

नीचे हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा, आम जनता को, जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (लिक्विडेशन में) ("कॉर्पोरेट देनदार") के मालिकाना हक वाली 14 (चौदह) एसेट्स (नीचे टेबल में बताई गई हैं) की बिक्री के लिए बोलियां मंगाने वाली ई-नीलामी की सूचना दी जाती है। ये एसेट्स कॉर्पोरेट देनदार के लिक्विडेशन एस्टेट का हिस्सा हैं। यह इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 ("IBC") के नियमों के अनुसार, इसके तहत बनाए गए नियमों और रेगुलेशन के साथ, "जैसा है जहां है", "जैसा है जैसा है", "जो कुछ भी है", और "बिना किसी सहारे के" के आधार पर और बिना किसी रिप्रेजेंटेशन, वारंटी, या हर्जाने के आधार पर होगा। यह सेल नीचे हस्ताक्षर करने वाले द्वारा ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म BAANKNET (पहले eBKray) https://ibbi.baanknet.com ("ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म") के माध्यम से की जाएगी, जो IBBI (लिक्विडेशन प्रोसेस) रेगुलेशन, 2016 के रेगुलेशन 32 और 4 सितंबर, 2026 के एसेट सेल प्रोसेस मैमोरेंडम ("ASPMs") के अनुसार होगी। सभी होने वाले बिडर्स से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि सभी एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, संबंधित ASPMs के क्लॉज 4 (एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स) में बताई गई डॉक्यूमेंट सबमिशन जरूरतों के अनुसार, सिर्फ ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म पर ही जमा किए जाने चाहिए।

ई-ऑक्शन के लिए जरूरी तारीखों का शैड्यूल	
ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म पर एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स और सेक्शन 29A अंडरटेकिंग जमा करने की आखिरी तारीख और समय	मंगलवार, 6 अक्तूबर, 2026, शाम 5:00 बजे (UTC + 5:30)
ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म पर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट ("EMD") जमा करने की आखिरी तारीख और समय	मंगलवार, 6 अक्तूबर, 2026, रात 8:00 बजे (UTC + 5:30)
ई-ऑक्शन की तारीख और समय	गुरुवार, 8 अक्तूबर, 2026, सुबह 9:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक (UTC + 5:30)
फाइनल सेल कंसीडरेशन के भुगतान की आखिरी तारीख	नीचे हस्ताक्षर करने वाले द्वारा फाइनल सेल कंसीडरेशन के भुगतान के लिए लेटर ऑफ डिमांड जारी करने के साठ (60) दिनों के अंदर

रकम INR में

क्रमांक	परिसंपत्ति का विवरण	परिसंपत्ति आईडी	नीलामी आईडी	आरक्षित मूल्य*	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	बोली वृद्धि मूल्य
1	बोइंग 737 MAX - हाई-वैल्यू सिस्टम, एवियोनिक्स और केबिन	4218	4748	2,01,78,119	20,17,812	10,08,906
2	बोइंग 737 MAX - कंज्यूमेबल्स, हार्डवेयर और फास्टनर	4219	4749	5,53,09,537	55,30,954	27,65,477
3	बोइंग 737NG - IFE, केबिन और सेफ्टी सिस्टम्स	4220	4750	12,56,34,498	1,25,63,450	62,81,725
4	बोइंग 737NG - एवियोनिक्स, एक्चुएटर्स और मैकेनिकल	4221	4751	2,58,65,010	25,86,501	12,93,250
5	बोइंग 737NG - कंज्यूमेबल्स, फास्टनर और हार्डवेयर	4222	4752	13,07,64,777	1,30,76,478	65,38,239
6	ATR72-केबिन, इंटीरियर और हाई-वैल्यू सिस्टम्स	4223	4753	2,74,30,843	27,43,084	13,71,542
7	ATR72-कंज्यूमेबल्स, हार्डवेयर और फास्टनर्स	4224	4754	6,09,64,327	60,96,433	30,48,216
8	A330/A332/A343 - वाइड-बॉडी एयरबस इन्वेंटरी	4225	4755	8,45,55,312	84,55,531	42,27,766
9	B777 वाइड-बॉडी बोइंग इन्वेंटरी	4226	4756	12,24,35,863	1,22,43,586	61,21,793
10	मिक्स्ड वाइड-बॉडी इन्वेंटरी - A330/B777/कलासिक्स	4227	4757	2,99,49,145	29,94,915	14,97,457
11	क्रॉस-प्लेटफॉर्म इन्वेंटरी (सभी एयरक्राफ्ट टाइप)	4228	4758	55,30,353	5,53,035	2,76,518
12	लेगेसी, मिसलेनियस और अनक्लासिफाइड	4229	4759	21,06,14,161	2,10,61,416	1,05,30,708
13	ऑपरेटर-स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड आइटम (ड्रेस कवर, आर्मरेस्ट, डेकल्स)	4230	4760	2,93,49,773	29,34,977	14,67,489
14	ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट और टूलिंग	4231	4761	4,90,012	49,001	24,501

*इसमें, इनटर एलिया, टैक्स, लेवी, चार्ज, ड्यूटी, ट्रांसफर फीस, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, प्रीमियम, और बिक्री पूरी करने के लिए लगने वाले दूसरे सभी खर्च शामिल नहीं हैं, जैसा कि खास तौर पर संबंधित ASPMs के क्लॉज 19 (कॉस्ट, खर्च और टैक्स का असर) में बताया गया है। अधोहस्ताक्षरी या नुकसान की भरपाई करने वाली पार्टियों (जैसा कि संबंधित ASPMS में बताया गया है) द्वारा कोई रिप्रेजेंटेशन, वारंटी, या हर्जाना नहीं दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट्स:
1. BAANKNET पोर्टल पर ऊपर लिस्टेड 14 (चौदह) एसेट्स के लिए 14 (चौदह) अलग-अलग ई-ऑक्शन होंगे।
2. इस सेल नोटिस को संबंधित ASPMs के साथ पढ़ा जाएगा, जिसमें IBC के सेक्शन 29A के तहत एलिजिबिलिटी के लिए एसेट्स, डिक्लेरेशन, एफिडेविट और अंडरटेकिंग की डिटेल्स होंगी, और "ई-ऑक्शन सेल के जनरल और टेक्निकल टर्म्स एंड कंडीशंस" होंगे, जो BAANKNET पर https://ibbi.baanknet.com/auction-listing पर ऊपर दिए गए एसेट और ऑक्शन IDs के लिए, या कॉर्पोरेट देनदार की वेबसाइट www.jetairways.com पर उपलब्ध हैं।
3. सभी विदेशी बोलीदाताओं को अपने पार्टिसिपेशन के लिए संबंधित ASPMs के एडेंडम पर ध्यान देना होगा। विदेशी बिडर्स से खास तौर पर अनुरोध है कि वे 4 सितंबर, 2026 के संबंधित ASPMs के एडेंडम में दिए गए तय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, टाइमलाइन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और EMD जमा करने की जरूरतों का पालन करें।
4. होने वाले बिडर्स जरूरी एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स और EMD सिर्फ और सिर्फ E-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के जरिए तय टाइमलाइन के अंदर, संबंधित ASPMs के क्लॉज 4 (एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स) के अनुसार जमा करेंगे, लिक्विडेटर को नहीं।
5. E-ऑक्शन प्लेटफॉर्म और डॉक्यूमेंट्स और EMD जमा करने के बारे में किसी भी सवाल के लिए, होने वाले बिडर्स से अनुरोध है कि वे BAANKNET से +91 8291220220 और support.baanknet@psballiance.com पर संपर्क करें।
6. ई-ऑक्शन के बारे में किसी भी सवाल के लिए, कृपया लिक्विडेटर के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, मिस्टर श्लोक नंदनवार (+91-8208503693) से jetliquidation@in.ey.com और liquidation.jet@gmail.com पर "इंडेम्निफाइड एसेट सेल दिल्ली कंज्यूमेबल्स" सब्जेक्ट लाइन के साथ संपर्क करें। कृपया ध्यान दें कि एलिजिबिलिटी या बिड्स से जुड़े कोई भी डॉक्यूमेंट्स लिक्विडेटर, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स या उनके एडवाइजर्स को जमा नहीं करने हैं।
7. यह स्पष्ट किया जाता है कि यह नोटिस नीचे हस्ताक्षर करने वाले या जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (लिक्विडेशन में) पर सेल को पूरा करने के लिए कोई बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं बनाता है। नीचे हस्ताक्षर करने वाले द्वारा लिया गया कोई भी फैसला फाइनल होगा और सभी होने वाले बिडर्स पर बाइंडिंग होगा।
8. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां और संबंधित ASPMs में दी गई एसेट्स की डिटेल्स सिर्फ जनरल रेफरेंस के मकसद से दी गई हैं। इंडेम्निफाइड पार्टीज (जैसा कि संबंधित ASPMs में बताया गया है) साफ तौर पर मना करती हैं और एसेट्स के डिस्क्रिप्शन या कंडीशन में किसी भी तरह की कमी/गलती/अंतर/गलतबयानी/चूक/बदलाव/कमी, या गलती के लिए उनकी कोई जिम्मेदारी या जिम्मेदारी नहीं होगी, चाहे ऐसी गड़बड़ी ई-ऑक्शन के पूरा होने से पहले, उसके दौरान या बाद में पता चले या नहीं। एसेट्स की बिक्री पूरी तरह से "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जैसा है", "जैसा है जैसा है", और "बिना किसी रिकोर्स" के आधार पर की जाती है, और बिना किसी रिप्रेजेंटेशन, वारंटी, या इंडेम्निटी के।
9. फाइनल सेल कंसीडरेशन का पेमेंट संबंधित ASPMs के क्लॉज 15 (फाइनल सेल कंसीडरेशन का भुगतान) और 16 (सेल का पूरा होना) में बताई गई टाइमलाइन, इंटरेस्ट प्रोविजन, और जब्ती की शर्तों के अधीन है।
10. लिक्विडेटर, कॉर्पोरेट देनदार के क्रेडिटर्स की कमिटी की सलाह के अनुसार, लागू कानून के तहत दिए गए प्रावधान को छोड़कर, बिना कोई कारण बताए किसी भी स्टेज पर ई-ऑक्शन प्रोसेस को कैंसिल या खत्म करने का अधिकार रखता है।

हस्ता/-
सतीश कुमार गुप्ता
जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड के लिक्विडेटर
तारीख: 04.09.2026
जगह: मुंबई
IP रजिस्ट्रेशन नंबर: IBBI/IPA-001/IP-P00023/ 2016-17/10056 AFA नंबर: AA1/10056/02 /311226/108454 AFA 31 दिसंबर, 2026 तक वैलिड ईमेल: liquidation.jet@gmail.com

पूर्व रेलवे

ई-निविदा सूचना सं.: ओ-एसी-टी-126 से 129-26-27 (खुली), दिनांक 02.09.2026, मंडल रेल प्रबंधक, पूर्व रेलवे, आसनसोल मंडल, स्टेशन रोड, पिन-713301 द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए ई-निविदाएँ (खुली) आमंत्रित की जाती है: **क्रम सं. 1, केस संख्या** : ओ-एसी-टी-126-26-27, **कार्य का नाम:** आसनसोल में सुनावत बिल्डिंग सहित ऑफिसर्स रेस्ट हाउस कैम्पस की मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए खुली निविदा। **निविदा मूल्य** : रु. 94,62,062.12, **बयाना राशि** : रु. 1,89,300/-, **क्रम सं. 2, केस संख्या** : ओ-एसी-टी-127-26-27, **कार्य का नाम:** आसनसोल मंडल में तापसी-बाराबानी कॉर्ड के खंड में लेवल क्रॉसिंग गेट नं. 05 एवं लेवल क्रॉसिंग गेट नं. 10 के स्थान पर सीमित ऊँचाई के सबवे के प्रावधान के लिए खुली निविदा। **निविदा मूल्य** : रु. 11,42,49,763.17, **बयाना राशि** : रु. 22,85,000/-, **क्रम सं. 3, केस संख्या** : ओ-एसी-टी-128-26-27, **कार्य का नाम:** आसनसोल मंडल में अण्डाल-सांईथिया, देवघर-दुमका, मोहनपुर-हंसडीहा खंड में 10000 से अधिक टीवीयू वाले लेवल क्रॉसिंग गेटों के इंटरलॉकिंग के लिए गेट बिल्डिंग, रिले हट के प्रावधान के लिए खुली निविदा। **निविदा मूल्य** : रु. 3,73,26,336.47, **बयाना राशि** : रु. 7,46,500/-, **क्रम सं. 4, केस संख्या** : ओ-एसी-टी-129-26-27, **कार्य का नाम:** आसनसोल मंडल में अण्डाल-बाराबानी और मधुपुर-गिरिडीह खंड में 10000 से अधिक टीवीयू वाले लेवल क्रॉसिंग गेटों के इंटरलॉकिंग के लिए गेट बिल्डिंग, रिले हट के प्रावधान के लिए खुली निविदा। **निविदा मूल्य** : रु. 3,22,06,318.78, **बयाना राशि** : रु. 6,44,100/-, **कार्य की समापन अवधि:** 09 माह (क्रम सं. 1, 3 एवं 4 प्रत्येक हेतु) और 12 माह (क्रम सं. 2 हेतु)। **बंद होने की तिथि और समय:** 25.09.2026 को 12.00 बजे। संपूर्ण विवरण रेलवे की वेबसाइट **www.ireps.gov.in** में देखा जा सकता है।
ASN-242/2026-27
निविदा सूचना वेबसाइट www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है
हमें यहां देखें : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

उत्तर रेलवे

ई-निविदा सूचना

वरिष्ठ मंडल वि. अभि./क.वि., डी.आर.एम. ऑफिस, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्न कार्य हेतु खुली निविदायें आमंत्रित करते हैं।

1	कार्य का नाम व स्थान	टावर वैगन में विभिन्न वस्तुओं की SITC द्वारा सुधार।
2	अनुमानित लागत	Rs. 48,60,780/-
3	बयाना राशि	Rs. 97,200/-
4	ई-निविदा ऑनलाइन जमा करने की अवधि	16.09.2026 (00.00 बजे) से 30.09.2026 (15.00 बजे तक)
5	ई-निविदा समापन की अंतिम तथा ई-निविदा खुलने की तारीख और समय	30.09.2026 (15.00 बजे)
6	निविदा छपाई की लागत	07041032
7	वेबसाइट विवरण जहां निविदा दस्तावेजों का पूरा विवरण देखा जा सकता है	www.ireps.gov.in

निविदा संख्या : 29-क.वि.-नई दिल्ली-2026-27 दिनांक: 02.09.2026 3030/2026
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

उत्तर रेलवे

रेल कोच नवीनीकरण कारखाना, सोनीपत

निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मुख्य कार्यशाला प्रबंधक कार्यालय, रेल कोच नवीनीकरण कारखाना, सोनीपत, उत्तर रेलवे निम्नलिखित कार्य के लिए ई-निविदा करते हैं।

1	निविदा संख्या	6S-Efile-317880R3Tender
2	कार्य का नाम और कार्य स्थान	"आरसीएनके/एसएनपी पर काम के दायरे के अनुसार एलएचबी कोच (पैंट्री कार) का नवीनीकरण)"
3	अनुमानित लागत	रुपये 3,58,84,115.80/- जीएसटी @ 18%सहित
4	बयाना राशि	रु. 7,17,700.00 /-
5	निविदा फार्म का मूल्य	शून्य
6	कार्य अवधि	अवधि कार्य आरंभ होने से बारह महीने
7	निविदा प्रपत्र जमा करने की तथा खुलने की तिथि व समय	दिनांक 25/09/2026 खुलने का समय 15:00 बजे
8	निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट साइट	उपरोक्त निविदा IREPS साईट पर उपलब्ध है जो कि है www.ireps.gov.in
9	यदि हिन्दी व इंग्लिश के नोटिस में कोई विरोधाभास है, तो इंग्लिश का नोटिस ही मान्य होगा।	

पत्र सं. 6S-Efile-317880R3Tender दिनांक 03/09/2026 3040/2026
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

AXIS BANK
ब्रांच ऑफिस - एक्सिस बैंक लिमिटेड, SBB लोन सेंटर SCO-221, दूसरी मंजिल, परमजीत टॉवर, सेक्टर-12, करनाल-132001
कॉर्पोरेट ऑफिस: तीसरी मंजिल, ब्लॉक-B, बॉम्बे डाइंग मिल्स कंपाउंड, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई-400 025
रजिस्टर्ड ऑफिस: 'त्रिशूल', तीसरी मंजिल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006

SARFAESI एक्ट 2002 की धारा 13(4) के तहत संपत्ति का कब्जा लेने के संबंध में सूचना का प्रकाशन

सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (2002 का 54)' और 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002' के नियम 9 के साथ पढ़े जाने वाले सेक्शन 13 (12) के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए, प्रत्येक अकाउंट के सामने बताई गई तारीखों पर एक डिमांड नोटिस जारी किया गया था। इसमें उन्हें कथित नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के अंदर रकम चुकाने के लिए कहा गया था। उधार लेने वाले ने रकम नहीं चुकाई, इसलिए उधार लेने वाले और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे बताई गई प्रॉपर्टी के साथ कब्जा, उक्त एक्ट के सेक्शन 13(4) उक्त एक्ट के नियम 9 के साथ पठित के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए, प्रत्येक अकाउंट के सामने बताई गई तारीखों पर ले लिया गया है।
उधार लेने वाले और आम जनता को खास तौर पर चेतावनी दी जाती है कि वे इस प्रॉपर्टी का कोई लेन-देन न करें, प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी लेन-देन एक्सिस बैंक लिमिटेड के उस चार्ज के अधीन होगा, जिसमें एक रकम और उस पर ब्याज शामिल है।
उधार लेने वाले का ध्यान एक्ट के सेक्शन 13 के सब-सेक्शन (8) के उन प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है जो सिक्योर्ड एसेट्स को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं।

उधारकर्ता/गारंटर का नाम/पता : 1. श्री चैतन्य पुत्र श्री सुंदर लाल निवासी मकान संख्या-570, वार्ड संख्या-5, खांबी, सरैया मोहल्ला हसनपुर, जिला पलवल-121106 हरियाणा 2. श्रीमती त्रिवेणी पत्नी श्री सुंदर लाल निवासी मकान संख्या-161, वार्ड संख्या-5, गांव खानबी, दाऊ जी मंदिर के पास, हसनपुर, जिला पलवल-121106 हरियाणा 3. श्री सुंदर लाल पुत्र श्री खुशयाली निवासी मकान संख्या-1013, वार्ड संख्या-5, सरैया मोहल्ला हसनपुर, जिला पलवल-121106 हरियाणा अचल संपत्ति का विवरण : 120 वर्ग गज क्षेत्रफल वाली गैर-कृषि संपत्ति के सभी टुकड़े और पार्सल। गज, 4/423 जमीन में से हिस्सा 21 कनाल 3 मरला जिसमें मस्त नंबर-25, किला नंबर- 20/1(3-10), 20/2(2-1), मस्त नंबर-30, किला नंबर- 1(7-7), और मस्त नंबर-26, किला नंबर-24(8-0), मस्त नंबर-29, किला नंबर- 4/1/1/2(0-5) यानी 4 मरला, वाका मौजा- धोलागढ़, तहसील और जिला- पलवल हरियाणा में है। इसकी मालिकी मिसेज त्रिवेणी के पास है, सेल डीड नंबर - 8315, तारीख 29-दिसंबर-2017। सीमाएं : उत्तर-रास्ता, दक्षिण-दया चंद की प्रॉपर्टी, पूर्व-दूसरों की प्रॉपर्टी, पश्चिम-भगत सिंह की प्रॉपर्टी

डिमांड नोटिस की तारीख	एनपीए की तारीख	कब्जे की तारीख	बकाया रकम
04-05-2026	11-04-2026	01-09-2026	रु. 21,94,707.34/- (रुपये इक्कीस लाख चौरानवे हजार सात सौ सात और चौंतीस पैसे सिर्फ)

स्थान: करनाल, तारीख: 04.09.2026 हस्ता/-अधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लिमिटेड

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली (दक्षिण)
तीसरा तल, सोरबजी भवन, 4/54, डी.बी. गुप्ता रोड, करोलबाग, नई दिल्ली-110005

ई-नीलामी बिक्री सूचना
(सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत)

परिशिष्ट - IV - A [नियम 8(6) एवं 9(1) का प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** (प्रतिभूत लेनदार) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, नीचे वर्णित कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) से **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बकाये** की वसूली हेतु उसकी **बिक्री 24.09.2026 को "जहाँ है जैसा है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है"** आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि (ईएमडी) सम्बद्ध सम्पत्तियों के विवरणों के सम्मुख प्रदर्शित है।

24.09.2026 को आयोजित होने वाली ई-नीलामी (15 दिवसीय सूचना)

रुपये में

क्र. सं.	शाखा का नाम	अधिकृत प्राधिकारी/शाखा प्रमुख	खाते का नाम	सम्पत्ति का विवरण तथा स्वामी का नाम	माँग सूचना की तिथि एवं बकाया राशि (रुपये में)	कब्जे की तिथि एवं प्रकार	आरक्षित मूल्य ईएमडी बोली वृद्धि
1.	गुलमोहर पार्क नई दिल्ली	मिस अर्चना शर्मा मोबाइल: 8448296394	विपिन कुमार गौर	सम्पत्ति संख्या आरजेड-902, गली नंबर-23, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110019 में स्थित (खसरा नंबर 445 का हिस्सा) पहली मंजिल का पिछला बायां हिस्सा बिना छत के अधिकार के, जिसका क्षेत्रफल 45.84 वर्ग मीटर है। मालिक:श्री विपिन कुमार गौड़ पुत्र श्री मुरारी लाल	14.05.2025 को रू.32,83,616.60 + उसके बाद देय ब्याज	26.12.2025 (भौतिक)	₹ 17,10,000.00 ₹ 1,71,000.00 ₹ 20,000.00
2.	करोल बाग नई दिल्ली	श्री विनय कुमार मोबाइल: 9999917126	श्री रंजीत सिंह	डीडीए का बनाया हुआ आवासीय फ्लैट नंबर 20, चौथी मंजिल (एलआईजी), पॉकेट-3, ब्लॉक-एफ-8, सेक्टर-जी 8, नरेला, दिल्ली-110040, एरिया-472 वर्ग फुट मालिक— श्री रंजीत सिंह पुत्र श्री अमरीक सिंह	30.05.2023 को रू.14,20,145.46 + उसके बाद देय ब्याज	30.07.2025 (भौतिक)	₹ 10,73,000.00 ₹ 1,07,300.00 ₹ 10,000.00
3.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज	मिस कुमारी रितु मोबाइल: 9319992541	श्री इमरान खान और श्रीमती रेहाना	फ्री-होल्ड आवासीय फ्लैट नं. एफ.एफ.-1, पहली मंजिल (एचआईजी) बिना छत के अधिकार के, प्लॉट नंबर बी-1/16, डीएलएफ अंकुर विहार, लोनी, गाजियाबाद में स्थित। एरिया-900 वर्ग फुट। मालिक – श्री इमरान खान पुत्र श्री मोहम्मद शरीफ और श्रीमती रेहाना पत्नी श्री इमरान खान	14.06.2024 को रू.10,01,634.29 + उसके बाद देय ब्याज	29.05.2025 (भौतिक)	₹ 15,30,000.00 ₹ 1,53,000.00 ₹ 15,000.00
4.	नरेला नई दिल्ली	श्री महेश चौधरी मोबाइल: 9711196480	मैसर्स एस एस एंटरप्राइजेज	बनी हुई सम्पत्ति संख्या 2420 ए, जमीन का माप 174 वर्ग गज, छत के अधिकारों के साथ पहली मंजिल, प्लॉट नंबर 2, खसरा नंबर 285 Min का हिस्सा, गाँव मामूरपुर, नरेला, दिल्ली-110040 के इलाके में स्थित, आबादी का इलाका जिसे मंडी एक्सटेंशन पार्ट-I (नई अनाज मंडी के सामने), मेन बवाना रोड, नरेला, दिल्ली-110040 के नाम से जाना जाता है। मालिक: श्रीमती सावित्री देवी	Rs. 1,44,55,546.00 on 02.08.2022 + interest thereafter	06.07.2023 (भौतिक)	₹ 76,50,000.00 ₹ 7,65,000.00 ₹ 50,000.00
5.	नरेला नई दिल्ली	श्री महेश चौधरी मोबाइल: 9711196480	मैसर्स एस एस एंटरप्राइजेज	बनी हुई सम्पत्ति संख्या 2420 ए, जमीन का माप 62 वर्ग गज ग्राउंड फ्लोर पर प्लॉट नंबर 2 (बिना छत के अधिकार के), खसरा नंबर 285 Min का हिस्सा, तीन दुकानें (प्राइवेट दुकान संख्या 1 से 6), जो गाँव मामूरपुर, नरेला, दिल्ली-110040 के इलाके में स्थित है, यह आबादी मंडी एक्सटेंशन पार्ट-1 (नई अनाज मंडी के सामने), बवाना रोड, नरेला, दिल्ली-110040 के नाम से जानी जाती है। मालिक: श्रीमती सावित्री देवी	Rs. 1,44,55,546.00 on 02.08.2022 + interest thereafter	06.07.2023 (भौतिक)	₹ 47,70,000.00 ₹ 4,77,000.00 ₹ 45,000.00
6.	पहाड़गंज नई दिल्ली	श्री राजीव कुमार मोबाइल: 8847236384	श्री राकेश कुमार साहु	आवासीय एलआईजी फ्लैट नंबर एसएफ-3 (दूसरी मंजिल), पीछे की तरफ और छत के अधिकार के साथ, यह प्लॉट नंबर एम.एम.-43, डीएलएफ अंकुर विहार, गाँव-लोनी, जिला-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201102 पर स्थित है। इसका सुपर कवर्ड एरिया 400 वर्ग फुट है। मालिक: श्री राकेश कुमार साहू पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद साहू।	04.06.2024 को रू.10,36,988.55 + उसके बाद देय ब्याज	19.12.2025 (भौतिक)	₹ 8,23,500.00 ₹ 82,350.00 ₹ 10,000.00

ई-नीलामी की तिथिः 24.09.2026, समयः 12:00 बजे दोपहर से 04:00 बजे अपराह्न तक 10 मिनट के स्वतः विस्तार सहित

ईएमडी तथा दस्तावेज (ऑनलाइन) जमा करने की अन्तिम तिथि तथा समयः 24.09.2026 को 03:30 बजे अपराह्न तक। संविदाकार वेबसाइट: https://BAANKNET.com पर पंजीकरण करेंगे तथा केवाईसी दस्तावेज जमा करेंगे और सेवा प्रदाता द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद एनईएफटी/आरटीजीएस/ट्रांसफर/ (https://BAANKNET.com) से चालान उत्पन्न करने के माध्यम से BAANKNET ईएमडी वॉलेट में जमा करना होगा। नीलामी सामान्य लैंडिंग प्लेटफॉर्म BAANKNET.com पोर्टल (https://BAANKNET.com) के माध्यम से आयोजित की जायेगी। ई-नीलामी "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर आयोजित की जायेगी। सम्पत्ति केवल आरक्षित मूल्य से ऊपर ही बेची जाएगी। (सम्पत्ति के अन्य सभी शुल्क/बकाया क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे) विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट: www.centralbank.bank.in अथवा नीलामी प्लेटफार्म (https://BAANKNET.com) में प्रावधानित लिंक देखें। BAANKNET हेल्पलाइन नं.: +91 8291220220, ई-मेल: E-mail: support.BAANKNET@psballiance.com

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के तहत वैधानिक 15 दिनों की बिक्री सूचना

कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं को एतद्द्वारा ई-नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज एवं अनुषंगी व्ययों सहित उपर्युक्त राशि अदा करने के लिये अधिसूचित किया जाता है जिसमें असफल होने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जायेगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागतों सहित वसूल किया जायेगा।

दिनांक: 03.09.2026
स्थान: नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी,
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षे.का. दिल्ली (दक्षिण), नई दिल्ली